बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार राज्य गंगा नदी संरक्षण एवं कार्यक्रम प्रबंधन सोसाइटी (BGCMS)

कार्यालय आदेश

सं0–BGCMS/2024/Bioremediation/10.......26............./न0वि0एवंआ0वि0, पटना, दिनांक– 25.03.2026

बिहार राज्य के नदियों में बहने वाले 507 नालों एवं सामुदायिक/मोबाईल शौचालयों के सेप्टिक टैंको के कीचड़ का Bioremediation के माध्यम से उपचार किया जाना है। इसी क्रम में क्रमशः 305 एवं 202 नालों के दूषित जल के गुणवत्तापूर्ण उपचार हेतु एजेंसी M/s Shree Nestbuild Infra Pvt. Ltd. के साथ एकरारनामा किया गया है। उक्त एकरारनामा के Terms of Reference में वर्णित 5 Parameters यथा, BOD, COD, pH, TSS एवं FC के मानक को प्राप्त करने का दायित्व एजेंसी M/s Shree Nestbuild Infra Pvt. Ltd. को सौपा गया है।

उक्त Agreement की कंडिका 2.9.5 (c) (i) के अनुसार Third Party Inspection हेतु बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद (BSPCB) नामित है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद (BSPCB) के पत्रांक–2789, दिनांक–13.12.2024, पत्रांक–2191, दिनांक–27.12.2024, पत्रांक–95, दिनांक–23.01.2025, पत्रांक–315, दिनांक–10.03.2025, पत्रांक–399, दिनांक–25.03.2025, पत्रांक–636 दिनांक–23.05.2025 एवं पत्रांक–739 दिनांक–10.06.2025 द्वारा क्रमशः माह अक्टूबर 2024 से माह अप्रैल 2025 तक का मासिक परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त है।

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद (BSPCB) के उक्त प्रतिवेदनों से एजेंसी M/s Shree Nestbuild Infra Pvt. Ltd. के Bioremediation संबंधी उपचार कार्यों को एकरारनामा के Terms of Reference में वर्णित 5 Parameters यथा, BOD, COD, pH, TSS एवं FC के मानक के अनुरूप नहीं करने की जानकारी दिया है।

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के असंतोषप्रद रिपोर्ट प्राप्त होने तथा एकरारनामा की शर्तों का लगातार उल्लघंन करने के कारण एकरारनामा की कंडिका 2.9.1.1 के आलोक में **विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–52 सह–पठित–ज्ञापांक–270 दिनांक–04.07.2025** द्वारा एजेंसी M/s Shree Nestbuild Infra Pvt. Ltd. के साथ किये गये Bioremediation संबंधी उपचार कार्यों के एकरारनामा को रद्द किया गया है तथा एकरारनामा की कंडिका 2.9.5 (c) (i) के आलोक में Bioremediation संबंधी उपचार कार्यों के कोई भी वित्तीय दावा अनुमान्य नहीं होने संबंधी आदेश निर्गत किया गया है।

उक्त के क्रम में BGCMS के पत्रांक–114, दिनांक–21.02.2026 द्वारा एजेंसी M/s Shree Nestbuild Infra Pvt. Ltd. को कालीकृत करने के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग की गई थी। उक्त के आलोक में एजेंसी M/s Shree Nestbuild Infra Pvt. Ltd. के पत्रांक–SNIPL/Bio/UD&HD/05/25-26, दिनांक–24.02.2026 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जो असंतोषप्रद है।

अतः Bioremediation संबंधी उपचार कार्यों पर बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के असंतोषप्रद रिपोर्ट प्राप्त होने के आधार पर एजेंसी M/s Shree Nestbuild Infra Pvt. Ltd. को 02 वर्षों के लिये कालीकृत किया जाता है।

उपरोक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

25/3/26

परियोजना पदाधिकारी–सह–अपर निदेशक,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

BGCMS/2024/Bioremediation/10......187........./न0वि0एवंआ0वि0, पटना, दिनांक– 25.03.2026

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग, बिहार सरकार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

25/3/26

परियोजना पदाधिकारी–सह–अपर निदेशक।

BGCMS/2024/Bioremediation/10......187........./न0वि0एवंआ0वि0, पटना, दिनांक– 25.03.2026

प्रतिलिपिः– Shree Nestbuild Infra Private Limited, 1st Floor, Kamta Ram Sakhi Enclave, Beside Dayanand Boys School, Mithapur Khagaul Road, Mithapur, Patna-800001, Email-desk@reliablegroup.org.in को सूचनार्थ प्रेषित।

25/3/26

परियोजना पदाधिकारी–सह–अपर निदेशक।

BGCMS/2024/Bioremediation/10......187........./न0वि0एवंआ0वि0, पटना, दिनांक–25.03.2026

प्रतिलिपिः– प्रबंध निदेशक, बुडको/नगर आयुक्त, सभी नगर निगम/कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद एवं सभी नगर पंचायत को सूचनार्थ।

2. आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि इस पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करा दिया जाय।

25/3/26

परियोजना पदाधिकारी–सह–अपर निदेशक।